UPRN120006512019

न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर/न्यायिक मजिस्ट्रेट,कानपुर देहात।

परिवाद सं०–426/2019

राघवेन्द्र बनाम प्रबंधक न्यू होशियारपुर बाम्बे कैरियर

दिनांक 02/02/2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित आये। विपक्षी को तलब करने हेतु परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ नियत है।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि परिवादी को आपने दिनांक 18/06/2019 को एक 40,000/रु० का चेक अपने बैंक शाखा कार्पोरेशन बैंक उदयपुर की अपने खाता सं– 5651411000036052 चेक सं०–601053 313012 002 201812 11 ट्रक सं०–UP 77 AN 5419 भाड़ा के बावत प्रदान की गयी थी। उक्त चेक प्रार्थी ने दि० – 25/07/2019 को भुगतान हेतु उसने अपने खाता सं० –11646888965 स्टेट बैंक शाखा भोगनीपुर कानपुर देहात को प्रेषित की थी जो कि आपके खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण अनादरित होकर दि० –05/08/2019 को प्राप्त हुयी। तब परिवादी ने मोबाइल पर विपक्षी से सम्पर्क किया तो विपक्षी उक्त धनराशि 40,000/रूपये जो चेक में अंकित थी देने में हीला हवाल करने लगा। तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता श्री सम्पतलाल यादव के माध्यम से दिनांक 07/08/2019 को जरिये रजिस्ट्री लीगल नोटिस दिया जो कि विपक्षी को प्राप्त हुई। विपक्षी ने नोटिस प्राप्त करने के पन्द्रह दिन के अन्दर उक्त धनराशि की व्यवस्था नही की और न ही उक्त धनराशि 40,000/रूपये अदा की। तब परिवादी ने प्रश्नगत चेक पर अंकित राशि तथा उसमें होने वाली भरपायी पैनाल्टी सहित उसको दिलाकर विपक्षी को दण्डित किये जाने की याचना की है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी ने धारा 200 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अपना साक्ष्य शपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में मूल चेक, बाउंस मेमो की छायाप्रति , लीगल नोटिस की छायाप्रति व डाक रसीद की मूलप्रति तथा आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल की है।

परिवाद पत्र में किये गये अभिकथनों के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य प्रलेखों, मूल चेक, रिर्टन मेमो, लीगल नोटिस जो विधिक रूप से समय सीमा के अन्दर दिये गये हैं, के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विपक्षी को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त प्रबंधक न्यू होशियारपुर बाम्बे कैरियर ट्रान्सपोर्ट नगर प्रताप नगर नेशनल हाईवे रोड उदयपुर राजस्थान को धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत प्रसंज्ञानित करते हुये

आहूत किया जाता है। बाद पैरवी सम्मन जारी हो हाजिरी अभियुक्त हेतु दिनाँक 05/03/2021 नियत की जाती है।

सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात